भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3310

जिसका उत्तर गुरुवार, 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है

आधार और मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने में शामिल विधिक मुद्दे

3310. श्री शक्तिसिंह गोहिलः

श्री राजमणि पटेलः

श्री सैयद नासिर हुसैनः

श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आधार और मतदाता पहचान पत्र के लिंक तक तृतीय पक्षकारों और सरकारी प्राधिकारियों की पहुँच होगी ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी पहुँच वाली इकाइयों की सूची क्या है ;

(ग) क्या इस डेटाबेस तक पहुँच के अनुमोदन अथवा अननुमोदन को निर्धारित करने हेतु कोई नयाचार है ;

(घ) पुत्तास्वामी निर्णय में नागरिकता के प्रमाणन हेतु आधार का एक वैध साधन के रूप में उपयोग किस प्रकार आनुपातिकता के परीक्षण में खरा उतरता है;

(ङ) क्या सरकार ने आधार का उपयोग कर नागरिकता के प्रमाणन हेतु एक नयाचार तैयार किया है ; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : जी नहीं, ऐसा कोई लिंक सृजित नहीं किया गया है । अत: प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(घ) से (च) : आधार नागरिकता का सबूत नहीं है । अत: प्रश्न ही नहीं उठता है ।

****